संख्या-37/2017/आर-5867/26-3-2016-961/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च 2017

विषयः- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु 02 छात्रों श्री पंकज कुमार एवं श्री धीरज कुमार को कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4646/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल.2016-17, दिनांक-14.12.2016 एवं पत्रांक-4743/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल.2016-17, दिनांक-21.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनित निम्नलिखित 02 छात्रों को प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रूपया-18,95,520/-(रूपया अट्ठारह लाख पन्चानबे हजार पांच सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निर्वतन पर रखी गयी हैं, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

क्र.स.	चयनित छात्र का नाम/पता	चयनित वर्ष	सम्बन्धित एविऐशन संस्था का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू0)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	श्री पंकज कुमार पुत्र स्व0 श्री कल्पनाथ राम ग्रा0 सूजाबाद, पोस्ट कुष्ठ सेवा आश्रम (पड़ाव) वाराणसी	2015-16	सरस्वती एविऐशन एकाडमी सुल्तानपुर,उ0प्र0	28,72,000.00	9,47,760/-
2	श्री धीरज कुमार पुत्र श्री हरप्रसाद, आजाद नगर, निकट सैटेलाइट, गली, जनपद-बरेली	2015-16	तदैव	28,72,000.00	9,47,760/-
				योग	18,95,520/-

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-37/2017/आर-5867(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2.निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5. निदेशक/प्रशासन, सरस्वती एविऐशन एकाडमी सुल्तानपुर, उ0प्र0।

6.सम्बन्धित छात्र

7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।